

कायालय जिला परिषद्, मधेपुरा।

आम सूचना

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 46 दिनांक 31.01.2017 द्वारा जिला परिषद् अवस्थित सैरातों की बन्दोवस्ती के लिए तीन तिथि क्रमशः 18.02.17, 22.02.17 एवं 28.02.17 को निर्धारित किया गया था जिसका प्रकाशन एन.आई.सी. तथा जिला परिषद् के वैबसाईट एवं समाचार पत्र में विज्ञापित के द्वारा किया गया है, परन्तु दो तिथि समाप्त होने के बाद भी अपेक्षित डाक वक्ता द्वारा बीड मनी जमा नहीं करने फलस्वरूप डाक की प्रक्रिया पूर्ण विधिवत पूर्ण नहीं हो पायी। फलस्वरूप पूनः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद् के निम्नांकित सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 28.02.2017 (शनीवार), 07.03.2017 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यालय जिला परिषद्, मधेपुरा में होगी। उक्त तिथि को बन्दोवस्त नहीं होने पर पूनः दिनांक 18.03.2017 (शनीवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यालय जिला परिषद्, मधेपुरा में बन्दोवस्त की जायेगी। डाक में भाग लेने के लिए डाक वक्ता डाक शुरू होने से 1 घंटा पूर्व ही सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत नगद अथवा डी.डी. जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही डाक वक्ता की प्रत्येक बोली सुरक्षित जमा राशि से 5 प्रतिशत अधिक की बोली विधिवत स्वीकार की जायेगी। डाक वक्ता को सर्वोच्च डाक की राशि डाक सम्पन्न होने के साथ ही निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क के साथ एक मुस्त राशि जमा करना होगा एवं गैर अदालतीय स्टाम्प पेपर पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विहित शर्तों के अधीन एकरारनामा तामिल कराना होगा।

बन्दोवस्त की राशि का बैंकर्स/डी.डी. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा के पदनाम से जमा करना होगा।

क्र०	सैरात का नाम	कुल दुकान की सं०	सुरक्षित जमा राशि
01	बस पड़ाव, सिंहेश्वर		1266150.00
02	बस पड़ाव, मधेपुरा		1438650.00
03	बस पड़ाव, आलमनगर		662431.00
04	निरीक्षण भवन सिंहेश्वर अवस्थित जलकर, फलकर भवन सहित		115000.00
05	निरीक्षण भवन मुरलीगंज भवन परिसर सहित		31165.00
06	बस पड़ाव, मधेपुरा अवस्थित शौचालय		50600.00
07	कुमारखंड अवस्थित शौचालय		9200.00
08	निरीक्षण भवन मधेपुरा का फलकर सहित जमीन		20499.00
09	निरीक्षण भवन उदाकिशुनगंज भवन, फलकर भूमि सहित		75000.00
10	निरीक्षण भवन आलमनगर भवन, फलकर भूमि सहित		26000.00
स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना अन्तर्गत दुकान			
11	सिंहेश्वर निरीक्षण भवन के उत्तर की दुकान	6	125000.00
12	मधेपुरा प्रेस परिसर अवस्थित दुकान	9	150000.00
13	प्रखंड कार्यालय के दक्षिण की दुकान, कुमारखंड	9	50000.00
14	कलासन बाजार, चौसा में निर्मित दुकान	10	50000.00
15	भर्राही बाजार, मधेपुरा में निर्मित दुकान	18	50000.00
16	पुरैनी बाजार के पुरानी गुदरी में निर्मित दुकान	7	50000.00
17	उदाकिशुनगंज प्रखंड कार्यालय के पश्चिम निर्मित दुकान	7	50000.00
18	बस पड़ाव, मधेपुरा के पुरब निर्मित मार्केट की दुकान	9	162000.00
19	गम्हरिया अवस्थित निर्मित दुकान	6	50000.00

इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता यदि डाक की राशि तत्काल जमा नहीं करेंगे तो जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं अगले डाक में वे भाग नहीं ले सकते हैं।

किसी भी सैरात की निलामी को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, मधेपुरा।

22.2.17 22.2.17

ज्ञापांक...82...जि०प० मधेपुरा दिनांक...23.2.17...

प्रतिलिपि :- गत तीन वर्ष के बीडरों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सूचना पत्र पर प्रकाशन हेतु चिपका दिया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को N.I.C. के वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विशेष पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं डाक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त निर्धारित तिथि को अध्यक्ष जिला परिषद् की अध्यक्षता में डाक की प्रक्रिया कोविधिवत पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सम्पादक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/प्रभात खबर, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एक दिन के लिए मुख्य एवं अंतिम पृष्ठ को छोड़कर प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/आरक्षी अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला परिषद्, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यालय जिला परिषद्, मधेपुरा।

आम सूचना

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 46 दिनांक 31.01.2017 द्वारा जिला परिषद् अवस्थित सैरातों की बन्दोवस्ती के लिए तीन तिथि क्रमशः 18.02.17, 22.02.17 एवं 28.02.17 को निर्धारित किया गया था जिसका प्रकाशन एन.आई.सी. तथा जिला परिषद् के वैबसाईट एवं समाचार पत्र में विज्ञापित के द्वारा किया गया है, परन्तु दो तिथि समाप्त होने के बाद भी अपेक्षित डाक वक्ता द्वारा बीड मनी जमा नहीं करने फलस्वरूप डाक की प्रक्रिया पूर्ण विधिवत पूर्ण नहीं हो पायी। फलस्वरूप पूनः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद् के निम्नांकित सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 28.02.2017 (शनीवार), 07.03.2017 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यालय जिला परिषद्, मधेपुरा में होगी। उक्त तिथि को बन्दोवस्त नहीं होने पर पूनः दिनांक 18.03.2017 (शनीवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में कार्यालय जिला परिषद्, मधेपुरा में बन्दोवस्त की जायेगी। डाक में भाग लेने के लिए डाक वक्ता डाक शुरु होने से 1 घंटा पूर्व ही सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत नगद अथवा डी.डी. जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही डाक वक्ता की प्रत्येक बोली सुरक्षित जमा राशि से 5 प्रतिशत अधिक की बोली विधिवत स्वीकार की जायेगी। डाक वक्ता को सर्वोच्च डाक की राशि डाक सम्पन्न होने के साथ ही निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क के साथ एक मुस्त राशि जमा करना होगा एवं गैर अदालतीय स्टाम्प पेपर पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विहित शर्तों के अधीन एकरारनामा तामिल कराना होगा।

बन्दोवस्त की राशि का बैंकर्स/डी.डी. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मधेपुरा के पदनाम से जमा करना होगा।

क्र०	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	क्र०	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि
1	सड़क सं० 18 में 75-76 कि०मी० तक कृषि योग्य भूमि	5000	11	सड़क सं०-18 बिरेली बाजार के रोड साई की दोनो तरफ की जमीन	3000
2	सड़क सं० M-9 में गणेश स्थान में डायभरसन सड़क की 01बी० 3क० कृषि योग्य भूमि	3000	12	बभनगामा अरगरा की जमीन	1500
3	आयुर्वेदिक औषधालय, भतरंधा की कृषि योग्य भूमि	2000	13	रोड नं०-एम.-12 स्थित डायभरसन की जमीन	1500
4	मीरगंज डाक बंगला की कृषि योग्य भूमि	2000	14	पोखराम अस्पताल की जमीन	3000
5	सड़क सं०-18 के 70-71वें कि०मी० कुसहा रानीपट्टी की कृषि योग्य भूमि	5000	15	सड़क सं०-एम.-07 सरोपट्टी डायभरसन की जमीन	4000
6	सड़क सं० M-12 स्थित डायभरसन की जमीन पोखर तक	2000	16	सड़क सं०-40 में अवस्थित भरीही नहर तक जिला परिषद् की जमीन	2000
7	सड़क सं० M-9 चकला चौक के डायभरसन की जमीन	1000	17	बेलारी स्थित जिला परिषदीय सड़क किनारे कृषि योग्य जमीन	5000
8	उदाकिशुनगंज महुआ गाछी सड़क सं०- M-39 के डायभरसन रोड की जमीन	4000	18	महेशुआ से रायभीर जानेवाली सड़क किनारे की कृषि योग्य जमीन	5000
9	सड़क सं०-19 में टोका मोईन गम्हरिया का जलकर	8000	19	प्रसादी चौक में अवस्थित जिला परिषद् की जमीन	5000
10	सिंहेश्वर सड़क सं०-19 जवसन के पश्चिम की जमीन	5000	20	कटैया, सिंहेश्वर में डायभरसन रोड की जमीन	5000
			21	बिहारीगंज सड़क सं०- M-39 के डायभरसन रोड की जमीन	1000
			22	सड़क सं०-19 में जीवछपुर में डायभरसन रोड के कृषि योग्य जमीन	1500
			23	भिरखी, मधेपुरा अरगरा की भूमि	5000

इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता यदि डाक की राशि तत्काल जमा नहीं करेंगे तो जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं अगले डाक में वे भाग नहीं ले सकते हैं।

किसी भी सैरात की निलामी को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, मधेपुरा।
22/2/17

ज्ञापांक...82...जि०प० मधेपुरा दिनांक...23.2.17...

प्रतिलिपि :- गत तीन वर्ष के बीडरों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे सूचना पत्र पर प्रकाशन हेतु चिपका दिया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को N.I.C. के वैबसाई पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विशेष पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं डाक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त निर्धारित तिथि को अध्यक्ष जिला परिषद् की अध्यक्षता में डाक की प्रक्रिया कोविधिवत पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सम्पादक, दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान/प्रभात खबर, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एक दिन के लिए मुख्य एवं अंतिम पृष्ठ को छोड़कर प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/आरक्षी अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला परिषद्, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।